

बिहार लोक सेवा आयोग  
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

**आवश्यक सूचना**

बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी जो वि.सं. 02/2016 एवं 06/2016 (राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याता के नवसृजित पदों पर नियुक्ति हेतु) की लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, को सूचित किया जाता है कि इस आशय का प्रमाण पत्र (जो जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत होगा) को दिनांक 18.02.2019 संध्या 5.00 बजे तक आयोग कार्यालय को स्पीड पोस्ट या ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करवायें। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त प्रमाण पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा (प्रमाण पत्र का प्रारूप आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है)।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र  
निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन करने हेतु आवेदन प्रारूप:-

.....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. आवेदक/आवेदिका के दादा/दादी/नाना/नानी का नाम (जो गृह मंत्रालय,  
भारत सरकार से स्वतंत्रता सेनानी घोषित हो) :-.....
4. स्वतंत्रता सेनानी का पता :-ग्राम/मुहल्ला :-.....  
पंचायत/वार्ड नम्बर :-.....  
पोस्ट:-..... थाना:-.....  
जिला:-..... राज्य:-.....
5. स्वतंत्रता सेनानी का P.P.O. संख्या :-.....
6. आवेदक/आवेदिका का स्वतंत्रता सेनानी के साथ संबंध :-.....
7. आवेदक/आवेदिका स्थायी पता :-ग्राम/मुहल्ला :-.....  
पंचायत/वार्ड नम्बर :-.....  
पोस्ट:-..... थाना:-.....  
जिला:-..... राज्य:-.....
8. आवेदक/आवेदिका का वर्तमान पता :-ग्राम/मुहल्ला:-.....  
पंचायत/वार्ड नम्बर :-.....  
पोस्ट:-..... थाना:-.....  
जिला:-..... राज्य:-.....
9. जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र का क्रमांक एवं वर्ष (छायाप्रति  
संलग्न करें) :-

स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती, नाती/नतीनी का प्रमाण पत्र

कार्यालय का नाम.....

प्रमाणपत्र संख्या-..... दिनांक-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पिता/पति/श्री.....ग्राम/मु. (वार्ड नं.).....

पोस्ट.....प्रखंड.....अनुमंडल.....

जिला.....स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी.....

पी.पी.ओ.संख्या-.....के पोता/पोती/नाती/नतीनी

हैं।

2. श्री (आवेदक का नाम).....को इस कार्यालय से स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र निर्गत है, जिसका क्रमांक-...../वर्ष-.....है।

जिला पदाधिकारी द्वारा  
मनोनित पदाधिकारी का हस्ताक्षर।